भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 109

22.07.2024 को उत्तर के लिए

वन भूमि का अन्यत्र उपयोग

109. श्री टी.आर. बालू:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से अब तक गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई वन भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है:

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में स्वीकृत परियोजनओं का ब्यौरा क्या है:

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए प्रतिपूरक वनीकरण के कुल क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में गैर-वानिकी और औद्योगिक गतिविधियों के कारण वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इन वन संपदा के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या नीतिगत सुधार किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अप्रैल, 2019 से मार्च, 2024 तक वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी उपयोग के लिए कुल 95724.99 हेक्टेयर वन भूमि को मंज़ूरी दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में अनुशंसित प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**अनुशंसित प्रस्तावों की संख्या**
2019-20	71
2020-21	85
2021-2022	154
2022-2023	150
2023-2024	421

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए प्रतिपूरक वनरोपण के कुल क्षेत्रफल का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है तथा इस पर व्यय की गई धनराशि **अनुबंध-III** में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों, बाघ गलियारों के भीतर विकासात्मक गतिविधियों और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के अंदर पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) के विचारार्थ भेजे जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा गहन जांच और राज्य वन्य जीव बोर्ड की अनुशंसाओं के बाद प्रस्तावों को आगे भेजा जाता है। एससीएनबीडब्ल्यूएल, जिसमें प्रख्यात पारिस्थितिकीविद, संरक्षणवादी और पर्यावरणविद भी शामिल हैं, अपने विचार के लिए रखे गए प्रस्तावों पर संसूचित निर्णय लेता है और उपशमन उपायों का सुझाव भी देता है।

इसके अलावा सरकार ने वन्यजीवों और वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. वन्यजीव और इनके पर्यावासों के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ परियोजना' एवं 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए जल कुंडों का निर्माण और इनका रख-रखाव, मृदा और नमी संरक्षण उपाय, अवैध शिकार रोधी शिविरों की स्थापना, वन्यजीव चिकित्सा देखभाल व्यवस्था को सुदृढ़ करना, खरपतवारों का उन्मूलन, फायर लाइनों का निर्माण और इनका रख-रखाव, जागरूकता सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

II. सीएसएस- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों और इनके पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम घटक के अंतर्गत गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 22 गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों को अभिज्ञात किया गया है।

III. वन्यजीवों और इनके पर्यावासों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्वों, सामुदायिक रिजर्वों और बाघ रिजर्वों का निर्माण किया गया है।

IV. भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ एवं संकटापन्न पशु प्रजातियों जैसे हिम तेंदुआ, ओलिव रिडले कछुए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा डॉल्फिन, डुगोंग आदि को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

V. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराध में उपयोग किए गए किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

VI. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन प्राधिकरण वन्य जीवों के अवैध शिकार के खिलाफ कड़ी निगरानी रखते हैं।

VII. वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वन्य जीवों के अवैध शिकार और वन्य जीवों से संबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करने तथा वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन में अंतर-राज्यीय और सीमापार समन्वय स्थापित करने के लिए की गई है।

VIII. मंत्रालय ने देश में वन्य जीवों को बचाने के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2031 की अवधि के लिए तीसरी 'राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना' तैयार की है। यह योजना सभी वन्यजीवों के संरक्षण में परिदृश्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है, चाहे वे कहीं भी पाए जाते हों। इसमें वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया है, साथ ही उनके पर्यावासों को संरक्षित किया गया है, जिनमें स्थलीय, अंतर्देशीय जलीय, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।

IX. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी, 2021 में राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना (2021-2026) जारी की, जिसमें समुद्री कछुओं और इनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर कार्रवाई का प्रावधान है।

X. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नवंबर, 2020 में गिद्ध संरक्षण कार्य योजना (2020-2025) जारी की, जिसमें गिद्धों और इनके पर्यावासों के संरक्षण के उपाय बताए गए हैं।

XI. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फरवरी, 2021 में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्शिका जारी की है, जिसमें वन्यजीव पर्यावासों में सुधार का भी प्रावधान है।

XII. मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है।

XIII. स्थानीय समुदाय, प्रवासी प्रजातियों जैसे नगालैंड राज्य में अमूर फाल्कन; गुजरात में व्हेल शार्क; तमिलनाडु में डुगोंग; ओडिशा में ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण में शामिल रहे हैं।

XIV. भारत, प्रवासी प्रजातियों संबंधी सम्मेलन (सीएमएस) में एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ने साइबेरियाई क्रेन, समुद्री कछुए, डुगोंग और रैप्टर के संरक्षण संबंधी एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

XV. वन्यजीव संरक्षण को और सुदृढ़ करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचित किए गए हैं।

XVI. वन्यजीवों पर रैखिक अवसंरचना परियोजनाओं जैसे रेलवे लाइनों के प्रभाव को कम करने के लिए, मंत्रालय ने 'वन्यजीवों पर रैखिक अवसंरचना के प्रभाव को कम करने संबंधी पारि-अनुकूल उपाय' नामक दिशा-निर्देश विकसित किए हैं और उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाया है। ये दिशा-निर्देश रैखिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपयुक्त उपशमन उपायों का सुझाव देते हैं, जिनमें भू-भाग, वन्यजीव व्यवहार पैटर्न, पशु प्रवासन मार्ग और अन्य प्रासंगिक मापदंडों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

XVII. मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में 4जी कनेक्टिविटी के प्रस्तावों के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

*****

अनुबंध-I

'वन भूमि का अन्यत्र उपयोग' के संबंध में श्री टी. आर. बालू जी द्वारा दिनांक 22.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए अपवर्तित वन क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

श्रेणी: सभी श्रेणियाँ		**दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2024 तक की अवधि के दौरान**	
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रस्तावों की संख्या**	**स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
1	अण्डमान एवं निकोबार	19	102.98
2	आंध्र प्रदेश	47	1593.97
3	अरुणाचल प्रदेश	75	8744.78
4	असम	31	1719.17
5	बिहार	265	1532.36
6	चंडीगढ़	2	0.10
7	छत्तीसगढ	41	3229.78
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	34	53.38
10	दिल्ली	12	116.92
11	गोवा	21	280.45
12	गुजरात	1512	7402.97
13	हरियाणा	1451	1855.29
14	हिमाचल प्रदेश	328	2058.14
15	जम्मू एवं कश्मीर	55	577.30
16	झारखंड	95	4303.34
17	कर्नाटक	118	1838.19
18	केरल	99	156.15
19	मध्य प्रदेश	909	22614.74
20	महाराष्ट्र	226	2713.60
21	मणिपुर	32	1540.95
22	मेघालय	7	33.99
23	मिजोरम	21	460.92
24	ओडिशा	146	13621.95
25	पंजाब	1073	1912.42
26	राजस्थान	274	3869.63
27	सिक्किम	42	212.55
28	तमिलनाडु	86	126.66
29	तेलंगाना	116	1637.25
30	त्रिपुरा	108	1181.35
31	उत्तर प्रदेश	976	6184.64
32	उत्तराखंड	468	3323.48
33	पश्चिम बंगाल	42	725.58
कुल योग		**8731**	**95724.99**

स्रोत : https://parivesh.nic.in

अनुबंध-II

'वन भूमि का अन्यत्र उपयोग' के संबंध में श्री टी. आर. बालू जी द्वारा दिनांक 22.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14.04	10.01	0.00	36.56	114.50
2	आंध्र प्रदेश	1473.17	509.04	491.69	845.04	643.62
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	1830.7	12193.93	4458.67	2857.828
4	असम	शून्य	793.578	120.62	0	385.56
5	बिहार	189.08	1661.506	शून्य	1321.09	1321.09
6	चंडीगढ़	0	0	25.29	0.14	शून्य
7	छत्तीसगढ	2827.04	865.33	420.30	442.74	94.60
8	दिल्ली	0	47.54	23.02	70.58	37.34
9	गोवा	40.00	200.00	200.00	299.00	470.00
10	गुजरात	1922.42	1019.85	3733.55	4629.97	2174.26
11	हरियाणा	293.77	1240.02	1870.22	1608.83	
12	हिमाचल प्रदेश	525.07	876.00	947.00	885.00	888.00
13	जम्मू एवं कश्मीर	962	3110.92	704	1288	
14	झारखंड	3687.253	2734.493	3324.858	3202.833	2789.83
15	कर्नाटक	615.16	194.53	522.77	715.01	611.14
16	केरल	शून्य	34.51	78.71	65	117.26
17	लद्दाख	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	4019.90	3823.06	3520.00	6286.41	5447.01
19	महाराष्ट्र	2741.536	600.96	218.55	182.278	513.39
20	मणिपुर	0.00	666.94	0.00	0.00	0.00
21	मेघालय	शून्य	25.69	286.74	199.52	2857.83
22	मिजोरम	शून्य	1236.50	1303.78	29.96	शून्य
23	ओडिशा	3399.60	3802.20	3501.45	4594.88	1628.66
24	पंजाब	1321.98	311.978	644.995	800.383	940.384
25	राजस्थान	2610.59	2147.85	808.52	444.79	1365.40
26	सिक्किम	171.64	106.64	183.98	94.67	44.78
27	तमिलनाडु	2.19	शून्य	शून्य	82.57	शून्य
28	तेलंगाना	4414.51	4178.16	2490.07	2052.71	551.12
29	त्रिपुरा	484.34	182.80	391.86	566.40	669.85
30	उत्तर प्रदेश	682.71	1070.08	1011.08	1538.98	1231.64
31	उत्तराखंड	3222.45	2597.28	2852.05	2415	1697.22
32	पश्चिम बंगाल	97.71	122.42	282.03	106.18	139.92
	कुल	**35718.16**	**36000.59**	**42151.06**	**39263.19**	**29440.39**

*****

<u>अनुबंध -III</u> **'वन भूमि का अन्यत्र उपयोग' के संबंध में श्री टी. आर. बालू जी द्वारा दिनांक 22.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**						
पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा **(करोड़ रूपये में)**						
क्र. सं.		**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	**प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय की गई धनराशि**	3389.1	4909.87	896.31	6149.85	5205.12

*****